न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–14/2008 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. ज्ञानीसिंह पुत्र श्री कर्मसिंह जाति ब्राह्मण सिख निवासी ग्राम सरहेटा तहसील रामगढ़ जिला अलवर ।

..... प्रतिवादी/अपीलांट

बनाम

1. मदनलाल पुत्र श्री प्रतापसिंह जाति खत्री निवासी रामगढ़,
2. चरणजीतसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह जाति खत्री निवासी रामगढ़,
3. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री प्रतापसिंह जाति खंत्री निवासी रामगढ़,
4. सोमदत्त पुत्र श्री नाहरसिंह यादव निवासी सरहेटा तहसील रामगढ़ ।
5. गिर्राज पुत्र श्री नाहरसिंह यादव निवासी सरहेटा तहसील रामगढ़ ।
6. मुनीराम पुत्र श्री नाहरसिंह यादव निवासी सरहेटा तहसील रामगढ़ ।

..... वादीगण/असल रेस्पो0

7. राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री कर्मसिंह जाति ब्राह्मण सिख निवासी सरहेटा ।
8. सुन्दरलाल पुत्र रघुनाथ प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी सरहेटा तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... प्रतिवादी/तर0रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री संजीव जैन, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री जगदीश चन्द सतीजा अभिभाषक असल रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–24.08.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.01.2008 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

1

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/असल रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 183, 188 आर.टी.एक्ट एवं 92. ए. इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजीं ख0 नं0 282 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम सरहेटा तहसील रामगढ़ में है जिस ख0 नं0 282 का 4 1/2X46 गट्ठा रकबा अर्थात 10 बिस्वा जिसे दावे के साथ पेशकर्दा नक्शा ट्रेस में रंग सुर्ख डॉट–डॉट से ख0 नं0 281 प्रतिवदीगण सं0 1 व 2 की खातेदारी की आराजी में मिला होना दिखाया गया है जो सी–एफ 4–1/2 गट्ठा है का दखल वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें । वादीगण की खरीदशुदा तन्हा हकूक कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी ख0 नं0 282 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम सरहेटा में स्थित है जो विवादित है । विवादित आराजी पर वादीगण बरोज खरीद से अब तक बहैसियत काबिज काश्तकार खातेदार के काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं और जमा सरकारी लगान अदा कर रहे हैं एवं इस वक्त भी वादीगण की बोई फसल चना विवादित आराजी में खड़ी है । जमाबन्दी सम्वत् 2050 के अंकन से एवं खसरा गिरदावरी सम्वत् 2054 व 2055 के अंकन से भी हम वादीगण के कथन की ताईद होती है जिसकी सत्य प्रतिलिपि पेश है । दि0 16.9.1999 को प्रतिवादीगण ने वादीगण की इस विवादित आराजी में वादीगण के कब्जे में मजाहमत की तथा कुछ रकबा ख0 नं0 281 में मिला लिया और सीमा का विवाद बतलाया । इस पर वादीगण ने पैमाईश का प्रार्थना पत्र पेश किया तो विवादित आराजी ख0 नं0 282 का 10 बिस्वा रकबा ख0 नं0 281 में मिला होना पाया जिसे दावे के साथ पेशकर्दा नक्शा में रंग सुर्ख से डॉट–डॉट से ख0 नं0 282 का रकबा ख0 नं0 281 में मिला होना दिखाया गया है जो सी–एफ रकबा 4–1/2 गट्ठा है । ख0 नं0 282 का 4–1/2X46 गट्ठा रकबा अर्थात 10 बिस्वा रकबा मौके पर कम है जो प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 की खातेदारी की आराजी ख0 नं0 281 में प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की आराजी पर जबरन अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है । प्रतिवादीगण ने दि0 4.10.99 को पुनः विवादित आराजी में मजाहमत कर वादीगण की खातेदारी की डोल तोड़कर नींव खोदने की कोशिश की जो बिना कोई सीमांकन किये हुए की जिस बाबत प्रार्थना पत्र तहसीलदार रामगढ़ के सम्मुख पेश किया जिस पर दिनांक 11.10.99 को घटनाबही में निशानदेही होने तक प्रतिवादीगण को पाबन्द किया गया कि वे विवादित आराजी में नींव खोंदने व निर्माण कार्य न करें । इसलिए प्रतिवादीगण को पाबन्द करने का निवेदन किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जिसमें प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर जवाबं दावा प्रस्तुत किया । विद्वान तहत न्यायालय ने दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनकर तनकीयात कायम करते हुए दिनांक 14.01.2008 को वादीगण का वाद स्वीकार कर लिया जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 14.01.2008 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि वादी/रेस्पो0 ने दावा ख0 नं0 282 का बताया है और हमारे रकबा में जो अतिरिक्त रकबा

मिला हुआ बताया है उसे ख0 नं0 281 रकबा 2.12 बीघा बताया है । दावा वादीगण/असल रेस्पो0 ने तहत न्यायालय में पेश किया । हम तो विवादित आराजी पर पूर्व से ही काबिज हैं । वादी ने तो विवादित आराजी खरीद की है । डोल पूर्व से ही बनी हुई है । कुछ आराजी का कन्वर्जन कराया है । एक्जी.5 को आधार माना है, उसे अपीलांट/प्रतिवादी ने डिनाई किया है कि मेरे सामने पैमाईश नहीं हुई है । मौके पर पटवारी हल्का गये, तहसीलदार नहीं गया । पैमाईश में मुस्तकिल बिन्दू नहीं बनाया । पैमाईश रिपोर्ट में यह कहीं भी अंकित नहीं है कि कहा मुस्तकिल बिन्दू है । मौके पर पहले जैसी यथास्थिति है । हम तो यह कह रहे हैं कि हमारे सामने पैमाईश नहीं हुई । हम तो यह कह रहे हैं कि दोबारा पैमाईश की जा सकती है । तहत न्यायालय में हमने लिखित में पेश किया है कि पक्षकार की अनुपस्थिति में कोई पैमाईश हुई है तो ये नहीं पढ़े जायेगें । दोराने दावा हम सह खातेदारों को डिलीट करवा दिया । इनका दावा स्टेण्ड नहीं करता है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय गलत है और अपील अपीलांट स्वीकार करने की इस्तदुआ की ।

जवाब में अभिभाषक असल रेस्पो0 का बहस में कथन है कि वादी/असल रेस्पो0 का तहत न्यायालय में वाद 183 व 188 आर.टी.एक्ट का था जिसमें तनकीयात कायम किये गये । हमने चार गवाह पेश किये जबकि प्रतिवादी ने दो गवाह पेश किये । अपीलांट ने साक्ष्य में माना कि एक्जी.–5 की पैमाईश हुई है । इस पैमाईश से प्रतिवादी की खातेदारी के रकबे में आराजी मिली है । इस पैमाईश को असल रेस्पो0 ने आज तक कहीं पर भी चैलेन्ज नहीं किया कि गलत है । तहत न्यायालय में पेश बयान डी.डब्ल्यू.1 ज्ञानी ने प्रदर्श पी–5 को सही होना माना है । इसी आधार पर असल रेस्पो0 को दखल का प्रावधान है । स्वयं की साक्ष्य स्वीकार है तो इससे अच्छी और कोई साक्ष्य नहीं हो सकती है । डी.डब्ल्यू.2 ने भी पैमाईश स्वीकार की है । इसलिए तहत न्यायालय ने सही निर्णय व डिक्री पारित की है जिसमें कोई त्रुटि नहीं होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है ।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.01.2008 का अवलोकन किया ।

तहत न्यायालय के आदेश दिनांक 14.01.2008 का अवलोकन किया । तहत न्यायालय ने साक्ष्य व पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक दिनांक 23.10.1999 के आधार पर माना है कि आराजी ख0 नं0 282 कुल रकबा 6.02 बीघा में से 10 बिस्वा भूमि 4–1/2X46 गट्ठा के रूप में ख0 नं0 281 में शामिल है । मौका रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नक्शा ट्रेस में रंग सुर्ख डॉट–डॉट से अतिक्रमित रकबा ख0 नं0 281 में मिला होना साबित है । जहां तक पैमाईश रिपोर्ट के साथ होने या नहीं होने का प्रश्न है । प्रतिवादी ने भी अपने बयानों में माना है कि पैमाईश हुई है । चूंकि वादी/रेस्पो0 ने इसी पैमाईश के आधार पर अतिक्रमित ऐरिया से कब्जा दखलयाबी के लिए वाद अन्तर्गत धारा 183 व 188 आर.टी.एक्ट के तहत किया है जिसमें तहत न्यायालय द्वारा सही निर्णय पारित किया है । इसलिए अपील अपीलांट काबिल खारिजी के है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के निर्णय व डिक्री दि0 14.01.2008 यथावत रखी जाती है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24/8/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर